1/1

नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक.......016914

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 3344

दिनांक 06-08-16

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
1139	एजी–28857	2001-2002

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ....ज्ञान भारती शिक्षा समिति, पता–मो0 जंगजीत नगर, शमसाबाद रोड, आगरा। ....को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र ....659 / 2001–02.... दिनांक ....12-07-2001.... को दिनांक ....12-07-2016.... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

....1100.... रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक....06-08-2016....

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सो0 फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क0/टी0/आफसेट)।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 835403

ज्ञान भारती शिक्षा समिति
शमशाबाद रोड आगरा

[illegible]
[illegible] 28857
जिला आगरा
[illegible] [illegible] मकान है।

उप निबन्धक
चिट फण्ड [illegible] सोसायटी
आगरा [illegible], आगरा

26/3/07

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा समिति
शमशाबाद रोड, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AA 835404

[illegible]

26/3/08

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा समिति
[illegible]बाद रोड, आगरा

स्मृति–पत्र

1–संस्था का नाम– ज्ञान भारती शिक्षा समिति ।

2–संस्था का पता– सो0 जगजीतनगर शमशाबाद रोड, आगरा ।

3–संस्था का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण उ0प्र0 होगा ।

4–संस्था के उद्देश्य–

1– संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह–जगह विद्यालयों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र–छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।

2– संस्था का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राइमरी से लेकर ~~जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल एवं~~ इण्टरमीडिएट ~~एवं आवश्यकता~~ [illegible] तक के शिक्षा संस्थानों एवं बालिका विद्यालयों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना । डिग्री कॉलिज की स्थापना व संचालन

3– संस्था का उद्देश्य निर्धन, अनाथ अपंग बच्चों को निशुल्क शिक्षा व उनकी छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीड़ा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना ।

4– संस्था का उद्देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें निशुल्क तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्म निर्भर एवं योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोग करना ।

5– कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करना एवं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त करना ।

6– संस्था का उद्देश्य समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य मेला शिविरों, रक्तदान शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी, का आयोजन करना तथा प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, बालश्रम उन्मूलन कार्यक्रम, मद्यनिषेध [illegible] चलाना ।

7– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु व उन्हे आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिंग कला प्रशिक्षण, तथा टंकण, आशुलिपि, एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, तथा उनमें जागरुकता पैदा करना ।

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा समिति
शमशाबाद रोड, आगरा

संस्था का नाम– ज्ञान भारती शिक्षा समिति
मौ0 जंगजीत नगर, शमसाबाद रोड, आगरा

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष–2016–2017

क्र.स.नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्रीमती नीरज पाराशर	डी–66 सरस्वती नगर, मालवीय नगर जयपुर	अध्यक्ष	स0सेविका
2–श्री रामकिशन शर्मा	शंकरपुरी कॉलोनी केदार नगर आगरा	उपाध्यक्ष	अध्यापन
3–डा0 गीतारामलवानियां	2 बी अयोध्या कुंज बी. कॉलोनी, आगरा	प्रबन्धक	प्रवक्ता
4–श्री राजेश लवानियां	ज्ञान भारती स्कूल, अयोध्या कुंज, आगरा जयपुर	उपप्रबन्धक	इन्जीनियर
5–श्री जितेन्द्र तिवारी	3, एम0एम0आई0जी0इन्द्रापुरम,आगरा	कोषाध्यक्ष	अध्यापन
6- श्री उमेश पाराशर	अशोक नगर आगरा	लेखापरीक्षक	अध्यापन
7 श्री अजय शर्मा	प्रिंस रॉबिन स्कूल जंगजीत नगर आगरा	सदस्य	अध्यापन
8 -श्रीमती विनोद कुमारी शर्मा	ए–8, राहुल विहार, शमशाबाद रोड आगरा	सदस्य	गृहकार्य
9–श्री विपिन कुमार पाराशर	डी–66 सरस्वती नगर, मालवीय नगर जयपुर	सदस्य	व्यापार

विनोद कुमारी शर्मा Neeraj
राजेश लवानियाँ

21-9-16

21/9/16

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा समिति
शमसाबाद रोड, आगरा

संशोधित नियमावली

1.संस्था का नाम - ज्ञान भारती शिक्षा समिति

2.संस्था का पता - मौ0 जंगजीत नगर, शमशाबाद रोड, आगरा

3.संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उ0 प्र0 होगा।

4.संस्था के उद्देश्य - संलग्नक स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे।

5.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों एवं नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क देंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे ।

संरक्षक सदस्य :-

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/- रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगे ।

आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000/-रूपया सदस्यता शुल्क के रूप मे निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोइ अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे. ।

सामान्य सदस्य :-

जो सज्जन इस संस्था को 250/- रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगे ।

विशिष्ट सदस्य :-

ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एंव संस्था का तन,मन,धन से सहयोग करने के लिऐ तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगें सरकार द्वारा सम्मानित एंव उपाधि प्राप्त सदस्यो जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एंव चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा ।परन्तु प्रति -बन्ध यह है कि ऐसे सदस्यो की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6-सदस्यता की समाप्ति :-

1. सदस्य की मृत्यु होने पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
2. आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
3. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।
4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
6. किसी सदस्य के विरूद्व 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर।
7. सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी ।

7-संस्था के अंग :-

अ- साधारण सभा

ब- प्रबन्धकारिणी समिति ।

Ajay Sharma

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा समिति
शमशाबाद रोड, आगरा

8--साधारण सभा :--

अ-- गठन :--

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

ब-- बैठक :--

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

स-- सूचना अवधि :--

साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जायेगी।

द-- गणपूर्ति :--

गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

य-- विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :--

संस्था का विशेर्ष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जायेगी।

र-- साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :--

1-- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय--समय पर चुनाव सम्पन्न कराना।

2-- नियमों--विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

3-- वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :--

अ-- गठन :--

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जायेगा प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक, एक उपप्रबन्धक एक कोषाध्यक्ष एक लेखापरीक्षक एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे

कार्यकारिणी समिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

ब-- बैठकें :--

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेर्ष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जायेगी।

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा समिति
...रोड, आगरा

स– सूचना अवधि :–

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जायेगी ।

द– गणपूर्ति :–

गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

य– रिक्त स्थानों की पूर्ति :–

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी ।

र– प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।

2– नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारणसभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना ।

3– वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कराना ।

4– संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा, ऋण एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्‌देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यो पर व्यय कराना ।

5– संस्था के विकास हेतु उपइकाईयों एवं उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना ।

ल– कार्यकाल :–

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

10 पदाधिकारियों के **अधिकार व कर्तव्य :-**

अध्यक्ष :–

1– संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।

2– मीटिंग बुलाना व स्थगित करना। किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

3– संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

उपाध्यक्ष :–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

Ajay Sharma

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा समिति
.... रोड, आगरा

प्रबन्धक :–

1– संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना ।

2– संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार–प्रसार करना ।

3– संस्था की अचल–चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान, अनुदान चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।

4– संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

5– संस्था के अन्तर्गत संचालित शिक्षा संस्थानों व विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निष्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

6– संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों,ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों बन्धक बिलेखों, बिल–बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

7– संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

उपप्रबन्धक :–

संस्था के प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष :–

1– संस्था के आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना ।

2– संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना ।

3– प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व बिल बाउचरों का भुगतान करना।

लेखापरीक्षक :–

संस्था के आय–व्यय के लेखा जोखा का निरीक्षण करना एवं सत्र समाप्ति पर उसे आडिट करना एवं प्रबन्धसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के हित में हों ।

प्रतिबन्ध –

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जावेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जावेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की

प्रबन्धक
... शिक्षा समिति

सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त [illegible] सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार [illegible] ही समाप्त हो जायेगा

5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे ।

6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगें।

7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

8. उक्त प्रतिबन्धों में बिना शासन की पूर्व अनुमति के कोई परिवर्तन, परिवर्धन/संशोधन नही किया जायेगा ।

9. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/ पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

10. उत्तर प्रदेश शिक्षा सहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विहित [illegible] अनुमन शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी ।

यदि हॉ तो कृपया प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 1 से 10 तक स्वीकार हैं।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रकिया –

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन सोसा0 रजि0 अधि0 की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एंव लेखा व्यवस्था –

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक एवं अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा तथा संस्था द्वारा संचालित विद्यालय का खाता संस्था के प्रबन्धक व विद्यालय के प्रधाना –ध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से खोला जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट) :–

संस्था का लेखापरीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चार्टड एकाउन्टेन्ट [illegible] जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का सत्त दायित्व :–

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के [illegible] द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख :–

1– सदस्यता रजिस्टर
2– कार्यवाही रजिस्टर
3– कैश बुक रसीद बुक, एजेण्डा रजिस्टर
4– निरीक्षण रजिस्टर आदि

16. संस्था का विघटन :–

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक 12-1-08

सत्यप्रतिलिपि

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा समिति
शमशाबाद रोड, आगरा

ज्ञान भारती शिक्षा समिति

जंगजीत नगर, शमशाबाद रोड, आगरा

क्रमांक :

दिनांक: 12-04-15

कार्यवाही

आज दिनांक 12.04.2015 को सोसायटी कार्यालय पर श्रीमती नीरज पाराशर अध्यक्ष, ज्ञान भारती शिक्षा समिति, आगरा की बैठक दोपहर लगभग 12:00 बजे आयोजित की गयी जिसमें पिछली कार्यवाही को पढ़कर सुनाया गया जिसकी सभी सदस्यों ने पुष्टि की।

प्रस्ताव-1 श्री रामकिशन शर्मा, उपाध्यक्ष, समिति ने प्रस्ताव रखा कि जो जमीन ज्ञान भारती कॉलेज ऑफ एजूकेशन, रजरई, शमशाबाद रोड, आगरा के नाम से खरीदी गयी है जिसके गाटा सं. 146 हैं पर डी0एल0एड0 कॉलेज की स्थापना की जाये।

प्रस्ताव-2 श्री रामकिशन शर्मा उपाध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा कि जो (डी.एल.एड.) कॉलेज खोला जा रहा है वह किसी भी लाभ के उद्देश्य से नहीं खोला जा रहा है। वह सिर्फ क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु खोला जा रहा है जिससे क्षेत्र के गरीब व निर्धन बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके। डी0एल0एड0 (**D.EL.Ed.**) कॉलेज खोले जाने हेतु एन.सी.टी.ई. से पत्राचार व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्धक सचिव श्री गीताराम लवानिया को अधिकृत किया जाये। उपस्थिति सभी सदस्यों ने प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया। अन्य कोई प्रस्ताव न होने के कारण अध्यक्ष की अनुमति से आज की बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रबन्धक
ज्ञान भारती शिक्षा समिति
शमशाबाद रोड, आगरा

अध्यक्ष
ज्ञान भारती शिक्षा समिति
आगरा